ध्यान देना चाहिए। ... अस्पताला में सरकार का ...

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर

क्रमांक/कोविड-19/ 2021/5400

दिनांक: 20/05/2021

विज्ञप्ति

श्रीमान् शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(1) चि0स्वा0/ग्रुप-2/2020 दिनांक 18.05.2021 के द्वारा प्रदेश में कोविड -19 से उत्पन्न परिस्थिति के परिपेक्ष्य में कोविड-19 हैल्थ कन्सलटेन्ट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक को 31 जुलाई 2021 तक चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण निम्न पद अनुसार रखा जाना है।

क्र. स.	पदनाम	पदों की संख्या	योग्यता	फिक्स मानदेय प्रतिमाह	विशेष विवरण
01	कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट	35	एमबीबीएस आरएमसी रजिस्ट्रेशन	39300/-	पीजी अभ्यर्थियो को प्राथमिकता प्रदान कि जायेगी। शेष हेतु एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट अनुसार
02	कोविड स्वास्थ्य सहायक	1141	जीएनएम एवं आरएनसी रजिस्ट्रेशन	7900/-	प्रत्येक ग्राम पचांयत पर एक पद प्रत्येक पीएचसी पर दो पद तथा प्रत्येक सीएचसी पर तीन पद शहरी क्षेत्र हेतु प्रति वार्ड दो पदो का कोविड स्वास्थ्य सहायक का चयन मेरिट के आधार पर किया जाना है।

कोविड स्वास्थ्य सहायक हेतु आवेदन गुगल फॉरम के लिंक –
https://forms.gle/6bsaL1QZQ7r47Vdo6

निर्धारित योग्यताधारी आवेदनकर्ता को अपना आवेदन/प्रार्थना पत्र स्वयं हस्ताक्षरित बायोडाटा पासपोर्ट साईज फोटो एंव निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्रो की प्रमाणित छाया प्रति व मूल निवास प्रमाण पत्र एक सेट सलग्न करना आवश्यक है।

नोट- 1. उक्त मानदेय के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।

2. कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट हेतु आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर में जमा कराना होगा।

3. कोविड स्वास्थ्य सहायक हेतु आवेदन गुगल फॉरम के लिंक के माध्यम से स्वीकार किये जायेगें।

4. कोविड स्वास्थ्य सहायकों के नियोजन में स्थानीय अभ्यार्थियो का शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत + तकनीकी योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर प्राथमिकता से चयन किया जायेगा।

5. यदि स्थानीय अभ्यार्थीयो की संख्या जिले हेतु आंवटित कोविड स्वास्थ्य सहायक की सख्या से कम होने पर अन्य जिलों के अभ्यार्थीयो का मेरिट के अनुसार नियोजन किया जायेगा।

6. अभ्यार्थीयो से दिनांक 25.05.2021 सांय 06.00 बजे तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगे। निर्धारित तिथि पश्चात किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

चयन प्रकिया राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष नियमानुसार योग्यता की जांच/दस्तावेज सत्यापन/ मेरिट के आधार पर की जाकर श्रीमान् जिला कलक्टर बाडमेर के अनुमोदन के उपरान्त कि जायेगी। यह नियुक्ति पुर्णतः अस्थाई होगी तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति की दशा मे न्याय क्षेत्र बाडमेर होगा एवं उक्त विज्ञप्ति को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पुर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

सदस्य सचिव व मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर